COURT FEE भारत INDIA १० रु. दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE भारत INDIA ५ रु. पांच रुपये FIVE RUPEES

123

# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र0क्र0 -I/2001 पुनरीक्षण

R. 1023-I/2001

| | |
|---|---|
| 1- बल्देव प्रसाद | पुत्रगण हल्के |
| 2- चुन्नू | निवासीगण |
| 3- मुकुंदीलाल | महुआबाग तहसील |

पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ -- आवेदकगण

श्री ... द्वारा आज दि० 11-6-2001 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
11 JUN 2001

विरुद्ध

1-मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर टीकमगढ

2- अमान तनय हिरऊ काछी
निवासी महुआबाग, तहसील पृथ्वीपुर
जिला टीकमगढ

3- मैंदाबाई पुत्री हल्के कुम्हार पत्नी प्रमूदयाल
निवासी ग्राम लिधौरा तहसील एवं जिला
टीकमगढ (म0प्र0) --- अनावेदकगण

अतिरिक्त आयुक्त सागर संभाग व्दारा प्रकरण क्रमांक 714/बी-121/92-93 पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक 14-5-2001 के विरुद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदकगण निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते हैं :-

(1) यह कि अधीनस्थ पुनरीक्षण न्यायालयों के विवादित आदेश एवं कार्यवाही अवैध, अनुचित एवं अनियमित होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) यह कि आवेदकगण ने मात्र तकनीकी।लिपिकीय त्रुटि को सुधारने का आवेदन दिया था जो स्वीकार किये जाने योग्य है। आवेदकगण

---

... म कहा है
पंचायत में इस लिखा है किंतु

**राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर**

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 1023–एक/2001 जिला–टीकमगढ़

| स्थान दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 12-1-17 | आवेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री एस0के0 वाजपेयी उपस्थित । अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अभिभाषक श्री डी0के0 शुक्ला उपस्थित।<br>2/ आवेदकगण ने यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग, के आदेश दिनांक 14.05.2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की है । अपर आयुक्त ने आवेदकगण द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा–152 के अंतर्गत दिये गये आवेदन का विवादित आदेश द्वारा निराकरण किया है।<br>3/ आवेदकगण के अभिभाषक ने संक्षिप्त में तर्क दिया है कि अपर आयुक्त के समक्ष आवेदकगण ने कलेक्टर, जिला–टीकमगढ़ के आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की थी, जिसमें अपर आयुक्त ने दिनांक 28.03.1989 को आदेश पारित करते हुये, आवेदकगण की निगरानी को स्वीकार किया था, परन्तु अपर आयुक्त के आदेश में पक्षकारों के नाम था भूमि के सर्वे क्रमांक में टाईपिंग की त्रुटि हो जाने के कारण नाम तथा सर्वे क्रमांक गलत वर्णित हो गये थे। इसलिये आवेदकगण ने केवल टाईपिंग की त्रुटियों को सुधारने के लिये व्यवहार प्रक्रिया की संहिता की धारा–152 के अंतर्गत आवेदन दिया था। आवेदकगण | |

की ओर से तर्क दिया गया कि अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह माना है कि त्रुटियां हुई है लेकिन यह कहते हुये आवेदन का निराकरण किया गया है कि त्रुटियों के सुधार के लिये राजस्व मण्डल से पुनरावलोकन की अनुमति लेना आवश्यक है। आवेदकगण का तर्क है कि उनके द्वारा जो आवेदन दिया गया था, उसमें पूर्व के गुण–दोषें पर पारित आदेश में कोई परिवर्तन नहीं चाहा गया था, केवल टाईपिंग की त्रुत्रियां सुधारने के लिये आवेदन दिया गया था। इसलिये राजस्व मण्डल से पुनरावलोकन की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी और यदि अपर आयुक्त ऐसा मानते थे तब उन्हें स्वयं पुनरावलोकन की अनुमति हेतु प्रकरण राजस्व मण्डल को प्रेषित करना चाहिये था।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक का अगला तर्क है कि प्रकरण अपर अयुक्त के समक्ष तथा इस न्यायालय के समक्ष लम्बे समय से लम्बित है। अतः अपर आयुक्त के समक्ष धारा–152 के अंतर्गत दिये गये आवेदन में जो त्रुटियां बताई गई थी, उनकी पुष्टि उपलब्ध अभिलेख से की जाकर आवेदन के अनुसार त्रुटियों को सुधारे जाने एवं तद्नुसार अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 28.03.1989 का क्रियान्वयन किये जाने के निर्देश प्रदान किये जाये। उनका कहना है कि मात्र इस राहत के लिये प्रकरण पनुः अपर आयुक्त को वापस किये जाने से आवेदकगण लंबे समय तक प्रक्रिया में उलझे रहेंगे। इसलिये त्रुटियों का सुधार करते हुये आदेश पारित किया जाये।

5/ मेरे द्वारा अभिलेख का अवलोकन किया गया। मेरे मत में न्यायालय के आदेश में यदि टाईपिंग की त्रुटियां हुई है और उनको सुधारने से मूल आदेश में गुण–दोषों पर कोई परिवर्तन ही होता है तब ऐसी त्रुटियों को सुधारने के लिये पुनरावलोकन की अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपर आयुक्त ने जब अपने आदेश में यह माना है कि पूर्व के आदेश में टाईपिंग की त्रुटियां हुई है, तब उन्हें स्वयं त्रुटियों को सुधार करने का आदेश देना चाहिये था। अपर अयुक्त ने पुनरावलोकन की अनुमति का कारण दर्शाते हुये आवेदकगण द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा–152 के अंतर्गत दिये गये आवेदन को अस्वीकार करने में त्रुटि की है। इसलिये अपर आयुक्त का विवादित आदेश दिनांक 14.05.2001 निरस्त किया जाता है।

6/ आवेदकगण के अभिभाषक ने धारा–152 के अंतर्गत दिये गये आवेदन की ओर से इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया । उक्त आवेदन के पद–3 में वर्णित किया गया था कि आवेदन प्रार्थीगण बलदेव प्रसाद आदि के पिता का नाम दरउ लिखा गया है, जबकि उनके पिता का नाम दरू होना चाहिये था। इसी प्रकार भूमि सर्वे क्रमांक 489/2–ग है, जबकि उसे गलती से 829/ग लिखा दिया गया है । पूर्व आदेश की तीसरी त्रुटि यह बताई गई थी कि अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 28.03.1989 के पद–2, 4 एवं अंतिम पद में हल्कन बेवा करू चमार अंकित हो गया है, जिसे हल्कन बेवा डरू कुमार होना चाहिये

था। आदेश की अंतिम त्रुटि यह बताई गई थी कि उक्त आदेश की कण्डिका–4 मे दो स्थानों पर "वर्ष" शब्द के आगे रिक्त स्थान रह गया है। अतः उसमें वर्ष का क्रमांक अंकित किया जाये। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिये गये आवेदन को पढ़ने मात्र से स्पष्ट है कि उसमें केवल लिपिकीय त्रुटियों को सुधारने की प्रार्थना की गई थी। आदेश के गुण–दोषों में कोई परिवर्तन नहीं चाहा गया था ।

7/ न्यायालय को अपने विचाराधिकार एवं विवके का उचित प्रयोग करते हुये आवेदन का निराकरण करना चाहिये। न्यायालय के आदेश में हुई त्रुटियों को सुधारने का उत्तदायित्व स्वयं न्यायालय का है। पक्षकार ने जब ऐसी त्रुटियों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया हो तब न्यायालय का यह कर्तव्श हो जाता है कि वह अपने आदेश में आवयक सुधार करें।

8/ उपरोक्त विवेचना एवं प्रकरण के अभिलेख के अनुसार आवेदकगण का यह निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण के द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग के समक्ष व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा–152 के अंतर्गत दिये गये आवेदन को स्वीकार करते हुये, अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त सागर, संभाग को निर्देशित किया जाता है कि निगरानी प्रकरण क्रमांक 276/अ–19/1986–87 में पारित आदेश दिनांक 28.03.1989 में आवेदकगण के द्वारा दिये गये आवेदन के अनुसार त्रुटियों का सुधार करें। पक्षकारों के नाम, बलदेव प्रसार, चुन्नू एवं मुकन्दीलाल

के पिता का नाम दरउ के स्थान पर दरू लिखा जाये। हल्कन बेवा करू चमार की जगह हल्कन बेवा डरू कुमार, भूमि के सर्वे क्रमांक में 829/ग के स्थान पर 489/2 ग अंकित करते हुये पूर्व आदेश के पद –4 में वर्ष' शब्द के बाद रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुये "वर्ष" 1981 लिखा जाकर तद्नुसार आदेश दिनांक 28.03.1989 में सुधार किया जाये।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य